



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

**दिनांक- 20.08.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।
थाना कसया**

25000 रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 20.08.19 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 25000 रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष कुमार सिंह पुत्र सुदामा सिंह निवासी ग्राम काला डुमरा थाना जीवीनगर तरवारा जनपद सिवान (बिहार) हाल मुकाम हाइडिल कालोनी निकट रेलवे स्टेशन थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को मुखबिर की सूचना पर हेतिमपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है मनीष कुमार सिंह उपरोक्त मु0अ0सं0- 409/19 धारा- 60(1),63 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अभियुक्त था और काफी दिनों से फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

मनीष कुमार सिंह पुत्र सुदामा सिंह निवासी ग्राम काला डुमरा थाना जीवीनगर तरवारा जनपद सिवान (बिहार) हाल मुकाम हाइडिल कालोनी निकट रेलवे स्टेशन थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।

आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 67/14 धारा 406,384,379,41/411,467,468,470 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय थाना कसया कुशीनगर।
- 2- उ0नि0 श्री ज्योति कुमार सिंह थाना कसया कुशीनगर।
- 3- हे0का0 अरविन्द राय थाना कसया कुशीनगर।
- 4- का0 मनोज यादव थाना कसया कुशीनगर।
- 5- का0 सुनील यादव थाना कसया कुशीनगर।
- 6- का0 अमरजीत यादव थाना कसया कुशीनगर।

➤ अवैध शराब विक्रय / परिवहन / निष्कर्षण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही-

थाना तुर्कपट्टी -

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 04 नफर अभियुक्तों 1-जितेन्द्र पुत्र दरोगा गुप्ता 2- प्रविण कुमार पुत्र कैलाश प्रसाद साकिनान धुरिया इमिलिया थाना सेवरही जनपद कुशीनगर 3- उमा पुत्र बउक राजभर व एक नफर अभियुक्ता साकिनान सपही टडवा थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर (कुल 40) लीटर अवैध कच्ची शराब, बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0- 236/237/238/239/19 धारा- 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ वारंटीयों की गिरफ्तारी- (कुल- 01)

थाना कोतवाली पडरौना -

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी - मनोज पुत्र नथुनी गुप्ता साकिन नोनियापट्टी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 110/11 धारा- 302/201/394 भादवि में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 20 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➤ कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-चालान 02, सीज-08 , वाहन-64 से शमन शुल्क- रु0-33800
- 2- वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-01)
- 3- वारंटीयों की गिरफ्तारी- (कुल-01)
- 4- आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-04, अभि0-04, बरामदगी-40 लीटर कच्ची अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण।